दिनांक 12 एवं 13–फरवरी, 2019 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 10269/110/तीन/97–VII दिनांक 05–02–2019, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 12 व 13–फरवरी,2019 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, सी0एल0टी0सी0 एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 2.00 लाख आवासों का लक्ष्य दिनांक 28.02.2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत माह–फरवरी,2019 के अन्तिम सप्ताह में संभावित सी.एस.एम.सी. बैठक में स्वीकृति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एक सप्ताह में नई डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में सभी परियोजना अधिकारियों को उनके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य से भी अवगत कराया गया।
3. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान **Payment By Higher Agency** के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह के अन्त में यू0सी0/प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।
4. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में जियोटैग की संख्या एवं अन्तरित धनराशि के लाभार्थियों की संख्या में अधिक अन्तर है वे एक सप्ताह में पात्र/अपात्र लाभार्थियों की जांच कराते हुये धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जियोटैग के पूर्व पात्र/अपात्र की जांच अवश्य करा ली जाए।
5. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ऐसे जनपद जहॉ आवासों की प्रगति खराब है एवं स्थानीय स्तर पर संस्था का कार्य संतोषजनक नही है वहॉ मुख्यालय से टीम गठित कर सम्बन्धित जनपदों में भेज कर जॉच करा कर समस्याओं का निराकरण किया जाये।
6. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि के ब्याज की धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय तथा विवरण सहित लेखांकन करते हुए उक्त धनराशि मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित किया जाये।
7. समीक्षा बैठक में जनपद– बॉदा, हाथरस, बलरामपुर, के सी0एल0टी0सी0 को एक सप्ताह में कार्य मे सुधार लाने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
8. जनपद–चन्दौली में योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लाने के दृष्टिगत सम्बन्धित संस्था को विशेष टीम भेजने के निर्देश दिये गये।
9. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
10. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों से पूर्ण आवासों के फोटोग्राफ एवं लाभार्थी सूची प्रत्येक दशा में दिनॉक 25.02.2019 तक सूडा, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।

12. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि जनपदों में जितने लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन सभी को तृतीय लेबल जीयोटैग कराते हुए एक सप्ताह में तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाये।
13. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा सुनिश्चित की जाये।
14. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
15. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
16. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
17. सभी परियेाजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि एवं जहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ तृतीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
18. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समीक्षा में पाया गाय कि शहरों में गठित समूहों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाले शहरों यथा– मऊ, चित्रकूट, अकबरपुर (कानुपर देहात), सहारनपुर, सम्भल, गाजियाबाद, बरेली, हापुड़, झांसी, लोनी (गाजियाबाद), फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, अतरौली (अलीगढ़), हसनपुर (अमरोहा), बांदा, बरेली (ऑवला, बहेरी एवं फरीदपुर), बिजनौर (चॉदपुर, धामपुर, कीरतपुर, नगीना, नजीबाबाद, स्योहरा एवं शेरकोट), बदायूँ (सहसवान एवं उजैहनी), बुलन्दशहर, बुलन्दशहर (गुलाठी, जहॉगीराबाद, खुर्जा एवं सिकन्दराबाद), फिरोजाबाद, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद एवं टुण्डला), मुरादनगर (गाजियाबाद), हमीरपुर, हमीरपुर (राठ), पिलखुवा (हापुड़), जालौन, कोंच (जालौन), मऊरानीपुर (झांसी), छिबरामऊ (कन्नौज), ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, कोसी कला (मथुरा), मुजफ्फरनगर (बुधाना एवं खतौली), बीसलपुर (पीलीभीत), सहारनपुर (देवबन्द एवं गंगोह), शाहजहॉपुर, तिलहर (शाहजहॉपुर), शामली, कैराना (शामली), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), कानपुर नगर, मुगलसराय (चन्दौली), फतेहपुर, बलरामपुर, टांडा (अम्बेडकर नगर), अमेठी, मुबारकपुर (आजमगढ़), बहराइच, नवाबगंज (बाराबंकी), भदोही, देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, हरदोई (सण्डीला एवं शाहबाद), जौनपुर, पड़रौना (कुशीनगर), गोला गोखरननाथ (लखीमपुर खीरी), लखीमपुर खीरी, मवाना व सरधाना (मेरठ), प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर एवं सीतापुर (बिसवां, लहरपुर एवं महमूदाबाद) को कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर तेजी से स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त कर शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उक्त के साथ ही रजिस्ट्रर्ड ए0एल0एफ0 को भी तत्काल नियमानुसार रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जाये।

ए0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 का गठन की प्रगति अत्यन्त धीमी/शून्य पाये जाने पर निर्देश दिये गये कि तत्काल आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ए0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 का गठन कराया जाये।

स्वयं सहायता समूहों एवं ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड तात्कालिकता के दृष्टिगत शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तावित लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व नियमानुसार अवमुक्त किया जाए। RF की धीमी प्रगति पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकरियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है तथा प्रदेश की रैकिंग भी निरन्तर गिर रही है, जिसे तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए तत्काल लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये गये।

यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को सम्बद्ध किया जाये। आय सृजनात्मक कार्य कर रहे समूहों को विवरण पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों पर वरीयता के क्रम में (सबसे अच्छे कार्य करने वाले SHG को सबसे ऊपर तथा तदानुसार उसी क्रम में) तैयार कर प्रत्येक दशा में एस0यू0एल0एम0, सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में निरन्तर दिये जा रहे निर्देशों के उपरान्त भी अनुपालन न किये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि फरवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में सभी लक्ष्य पूर्ण किया जाये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को अब तक आत्म निर्भर हो जाना चाहिए था परन्तु CLC का संचालन गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में किये जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित सी0एल0सी0 कानपुर के माध्यम से जनपदों से समूहवार विवरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–4430/241/NULM/Teen/ 2001/SM&ID-CLC दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूडा उ0प्र0 एवं सी0एल0सी0 जोन–5 कानपुर नगर को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये है।

SUH-

1. प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 05.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर में रह रहे सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके दृष्टिगत शहर में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार भूमि चिन्हित कर के शेल्टर निर्माण की DPR स्वीकृत हेतु भेजी जाये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।
2. DAY-NULM के निर्माणाधीन शेल्टर्स पर शीघ्र अति शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये तथा कार्य पूर्ण सभी शेल्टर्स को C&DS से नगरीय निकायों को तत्काल हस्तगत कराते हुए चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल GoI के MIS पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपलोड किया जाये। MIS पोर्टल पर DAY-NULM एवं Non DAY-NULM के सभी संचालित शेल्टर होम की प्रोफाइल तत्काल अपलोड कर दी जाये तथा स्क्रीन शॉट एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाये।
4. शहर में संचालित सभी प्रकार के शेल्टर होम में रुकने वाले बेघरों की प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारुप पर 12 बजे अपराहन तक सूडा उ0प्र0 को suhnulmup@gmail.com पर प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा निर्देश दिये गये कि दैनिक रुकने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराये गये google drive पर अपलोड की जाये।
5. शेल्टर होम के संचालन हेतु SLMC के निर्देशानुसार एडवाजरी इस कार्यालय के पत्र संख्या–8965 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा सभी को भेजा गया, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
6. अवगत कराया गया कि विगत दिनांक 28.12.2018 को राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक मा0 अध्यक्ष श्री बलविन्दर कुमार ण्।ै सेवानिवृत्त/सदस्य रेरा उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड के दृष्टिगत निर्देश दिये गये है किनिकाय एवं डूडा कर्मियों द्वारा रात्रि में अभियान के माध्यम से खुले में सो रहे शहरी बेघरों को स्थाई/अस्थाई शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित कराया जाये तथा वरिष्ठ अधिकारी भी रात्रि में भ्रमण कर यह अवश्य देखें कि शहर/निकाय में कहीं कोई व्यक्ति खुले में किसी भी दशा में न सोयें। नगर निगम एवं बड़े शहर विशेष ध्यान देकर यदि वर्तमान में आवश्यकता से कम अस्थाई शेल्टर होम हो तो आवश्यकतानुसार अस्थाई शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

7. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि सभी शहरों/जनपदों द्वारा माह नवम्बर, 2018 में अस्थाई शेल्टर होम की उपलब्ध करायी गयी सूची मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल कर दी गयी है तथा अस्थाई शेल्टर होम के संचालन हेतु अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0–8446 दिनांक 26.12.2018, 7676 दिनांक 05.12.2018 एवं 7050 दिनांक 16.11.2018 के द्वारा संचालन का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः अपेक्षा की गयी कि अस्थायी शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अस्थाई शेल्टर्स की व्यवस्था कर शहर के सभी शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित किया जाये। अवगत कराया गया है कि SLMC द्वारा वर्तमान में शहरो/निकायों से दैनिक आश्रय की क्षमता से बहुत कम औसतन लगभग 27: लोगों को ही शेल्टर होम में आश्रय लिये जाने की प्राप्त हो रही सूचनाओं एवं संचालन व्यवस्था पर विभिन्न शहरों से प्राप्त फीडबैक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों एवं शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्थाई एवं अस्थाई शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि शहरों को EST&P के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि में ही असेसमेन्ट लागत सम्मिलित है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए असेसिंग बॉडीस के लम्बित समस्त भुगतानों को यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09.2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी शहरें से अपेक्षित है कि शीघ्र ही एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07.2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241/NULM/Teen /2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में 20.09.2018 तक सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं को कार्यादेश जारी किये जाये और यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। पत्रांक–2511 दिनांक 02.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु शहरवार लक्ष्यों को आवंटन किया गया है।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शाहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं सहारनपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) के सापेक्ष अगस्त, 2018 को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही अवस्थापना निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए निर्धारित प्रपत्र (पत्रांक–477 दिनांक 30.10.2018) पर प्रगति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सियों का चयन

पत्रांक–3633/241/NULM/Teen/2001(SUSV) TC-Tender दिनांक 25.09.2018 द्वारा जारी किया गया है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही एजेन्सियों से सम्पर्क करते हुए कार्यादेश जारी करने एवं अनुबन्ध किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराये एवं अतिशीघ्र सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाय।

बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर हेतु चयनित संस्था द्वारा कार्य न किये जाने की असमर्थता के कारण उक्त शहरों हेतु नवीन संस्था के चयन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्य:–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

मुख्यालय के पत्र संख्या–4353 दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये कि उक्त शहरों में सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं को शासन की अपेक्षानुसार एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए और पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेंडिग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र जारी किये जाए।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों बागपत, सम्भल (चन्दौसी), बदायूँ, बुलन्दशहर, औरैया, चित्रकूट, अमेठी (गौरीगंज), कौशाम्बी, आजमगढ़ (मुबारकपुर), उन्नाव, सोनभद्र (राबर्टसगंज), प्रतापगढ़ द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-I के अन्तर्गत जनपद बिजनौर, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), अलीगढ़, कानपुर देहात, रामपुर, जालौन (उरई), फिरोजाबाद, महोबा, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर, बलरामपुर, मिर्जापुर, चन्दौली, श्रावस्ती (भिन्गा), सुल्तानपुर, कुशीनगर (पड़रौना), भदोही, गोरखपुर, गाजीपुर एवं देवरिया के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह फरवरी, 2019 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्ष्यों की पूर्ति न कराए जाने पर संबंधित शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजक की आबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा अमरोहा (गजरौला एवं हसनपुर), बरेली (ओनला), बुलन्दशहर, जहॉगीराबाद, खुर्जा, चित्रकूट, गाजियाबाद (मुरादनगर), सम्भल (चन्दौसी), अम्बेडकर नगर (टांडा), फतेहपुर, महाराजगंज, मेरठ (मवाना) एवं रायबरेली जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-G के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद, गाजियाबाद (लोनी), अमरोहा, बदायूँ, मैनपुरी, मऊ, मथुरा, रामपुर, शाहजहॉपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर नगर एवं मेरठ के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह फरवरी, 2019 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत जनपदों यथा शामली (कैराना), कानपुर देहात, चित्रकूट, बदायूँ, पीलीभीत, चन्दौली, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी एवं कुशीनगर (पड़रौना) जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद यथा जालौन, हापुड़, एटा, गाजियाबाद (लोनी), अमरोहा, मैनपुरी, मऊनाथ भंजन, बरेली, बिजनौर, झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, गाजियाबाद, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, श्रावस्ती (भिन्गा), मिर्जापुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोण्डा, मुरादाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर जनपदों द्वारा द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को

निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह फरवरी, 2019 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटकों में लक्ष्यों की प्रगति शून्य है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	SEP(G)	SHG-Bank Linkage
1.	अमेठी, गौरीगंज, बलरामपुर, मुबारकपुर, भदोही, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़।	अमेठी, गौरीगंज, बस्ती, भदोही, ज्ञानपुर, देवरिया।
2.	सन्तकबीर नगर, सुल्तानपुर, वाराणी, बागपत (बड़ौत), बांदा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा।	बागपत, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, महोबा, हमीरपुर।

उपरोक्त जनपदों की प्रगति शून्य होने की दशा में निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि जनवरी तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह फरवरी, 2019 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किये गये लाभार्थियों का सत्यापन एवं अनुमोदन नहीं किया गया है, उनके प्रति निदेशक महोदय द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर आबद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षतमा संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक माह की 20 तारीख को योजना की गहन समीक्षा की जाये।
- जनपद अम्बेडकर नगर के श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के कारण माह फरवरी, 2019 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद मेरठ के श्री शोभित गुप्ता, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत की गयी वित्तीय अनियमितता के कारण माह फरवरी, 2019 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

"शहरी समृद्धि उत्सव" पखवाड़ा फरवरी, 2019:–

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा फरवरी, 2019 के समाप्ति के दृष्टिगत निर्देश दिये गये कि निर्धारित अवधि में युद्ध स्तर पर कार्य कर चिन्हित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से शत प्रतिशत लाभान्वित कराते हुए निर्धारित प्रारुप 4 पर तत्काल आख्या उपलब्ध करायी जाये। उक्त पखवाड़े की उपलब्धि की समीक्षा भारत सरकार निरन्तर किये जाने के दृष्टिगत आवश्यक है कि पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों, लाभान्वित समूह सदस्यो आदि को वितरित किये गये प्रमाण पत्र स्वीकृत पत्र आदि के हाई रिजॉलियूशन फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग आदि को सम्मिलित कर आख्या तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में जनपद स्तर पर लम्बित पुनरीक्षित मूल्यवृद्वि की डी0पी0आर0 एवं आवश्यक अभिलेख तैयार करा कर सी0 एण्ड डी0एस0 के माध्यम से एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि अवमुक्त की गयी है वे द्वितीय किश्त की प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा बजट समाप्त होने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

बैलन्सशीट

समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलन्सशीट तैयार न हो पाने के दृष्टिगत जनपद–गाजीपुर, बॉदा, इटावा, रामपुर, बलरामपुर, बहराइच, अमेठी, रायबरेली के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में बैलन्सशीट तैयार करा कर मुख्यालय को उपलब्ध करायें और यदि किसी जनपद में बैलन्सशीट में समस्या आ रही है तो संबंधित सी0ए0 को मुख्यालय से जनपद में निराकरण हेतु भेजा जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30

दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

3– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

4– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

<u>जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–</u>

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)**

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

<u>राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश</u>

पत्रांक– 1144 **/110/तीन/97 Vol-VII** **दिनांक–** 27/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक